

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

**(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।  
108 - जायल (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती मंजु देवी पता बाई पास रोड़ जायल, नई बस्ती जायल ग्राम पो.— जायल, वाया— जायल, तहसील— जायल जिला— नागौर (राज.) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

तारीख : 11 दिसम्बर 2018

\* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

(कन्हैयालाल सोनगरा)

रिटर्निंग अधिकारी

108-जायल (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र

(कन्हैयालाल सोनगरा)

रिटर्निंग अधिकारी

(108) जायल विधानसभा

FORM 21C

See rule (64)

(For use in General Election when Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of the RAJASTHAN from 108-JAYAL (S.C.) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules 1961, I declare that Shmt. MANJU DEVI Address BYPASS ROAD JAYAL, NAI BASTI JAYAL, VPO- JAYAL, VAI- JAYAL, TEHSIL- JAYAL, DISTRICT- NAGOUR Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place Sh. B.R. Mirdha Govt. College, NAGOUR  
Date 11-12-2018



(Kanhaiya Lal Songara)  
Returning Officer  
108- JAYAL (S.C.) Constituency  
(कन्हैया लाल सोनगरा)  
रिटर्निंग अधिकारी  
(108) जायल विधानसभा